भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *153
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2019 को दिया जाना है।
24 माघ, 1940 (शक)

निजी जानकारी बेचना

***153. श्री राकेश सिंह**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में सोशल नेटवर्किंग साइटों द्वारा उपभोक्ताओं की निजी जानकारी बेचने की बात ध्यान में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना निजी जानकारी को साझा करने के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई नियम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मामले से निपटने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

निजी जानकारी बेचना के संबंध में 13 फरवरी, 2019 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *153 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

****

(क) और **(ख) :** ऐसी कोई घटना/रिपोर्ट सरकार के संज्ञान में नही आई है। निजी डेटा के लिकेज के बारे में मीडिया रिपोर्ट आई थी। निजी सोशल मीडिया वेबसाइटों द्वारा डाटा उल्लंघन की कुछ घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट की गईं। सरकार ने फेसबुक और क्रेम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा डाटा के लीकेज के बारे में रिपोर्टों को संज्ञान में लिया और उन्हें भेजे गए नोटिस के उत्तर में इन कंपनियों द्वारा यह दावा किया गया कि वहां कोई दुरूपुयोग नहीं किया गया था। तथापि, क्रेम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा दिया गया उत्तर पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं था, अत: क्रेम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा संभावित दुरुपयोग से संबंधित इस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई से कहा गया है।

(ग) और **(घ) :** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क और 72क में डिजिटल रूप में डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। धारा 43क में सूचना के अनधिकृत अभिगम और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के प्रकट होने के मामले में पीड़ित को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रावधान है। इसमें किसी व्यक्ति की 'संवेदनशील निजी सूचना' की सुरक्षा के लिए 'पर्याप्त सुरक्षा पद्धतियां' कार्यान्वित करने के लिए 'बॉडी कॉर्पोरेट्स' को अधिदेश दिया गया है। अधिनियम की धारा 72क में कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए सूचना प्रकट करने पर दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली 2011 में यह अपेक्षित है कि माध्यस्थ अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते समय यथोचित ध्यान रखेंगे तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके कम्प्यूटर संसाधन के अभिगम अथवा इस्तेमाल के लिए नियम और विनियम, गोपनीयता नीति और प्रयोक्ता करारनामे को प्रकाशित करेंगे।

(ड.) : प्रयोक्ता के व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण को और मजबूत करने के लिए सरकार ने न्यायाधीश श्री बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण से संबंधित पक्षों पर विचार करने और डेटा संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया और डाटा संरक्षण पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सिद्धांत निर्धारित किए गए। इसके पश्चात समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ मसौदा विधेयक एमईआईटीवाई को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट और मसौदा विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत किया गया और टिप्पणियां आमंत्रित की गईं, इस पर फीडबैक प्राप्त हुई हैं। डाटा संरक्षण विधान लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

****